



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062026-273103
CG-DL-E-03062026-273103

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 345]
No. 345]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 2026/ ज्येष्ठ 6, 1948
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 2026/ JYAISTHA 6, 1948

रेल विकास निगम लिमिटेड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2026

फा.सं.13/आईएनडीबी-बीएनआई/एल ए/राजपत्र/17/कार्य पत्राचार दिनांक 25/05/2026.—केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम 1989 (रेलवे संशोधित अधिनियम, 2008) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20(क) की उप-धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र असाधारण भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित रेल विकास निगम लिमिटेड की अधिसूचना संख्या F. No.13 INDB-BNI/LA/Gazette/10/Work Correspondence की अधिसूचना नई दिल्ली तारीख 18 जून 2025 (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है।) द्वारा उक्त अधिसूचना उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, मध्यप्रदेश राज्य के जिला-इन्दौर, देवास एवं सीहोर में विशेष रेल परियोजना, "इन्दौर से बुदनी तक नई बी.जी. लाइन परियोजना" के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है,

और उक्त अधिसूचना का सारांश उक्त अधिनियम की धारा 20 क की उपधारा (4) के अधीन स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों "राज एक्सप्रेस" व "नईदुनिया" में तारीख 03 जुलाई 2025 व 03 जुलाई 2025 को प्रकाशित किया गया था।

और सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आपेक्ष प्राप्त नहीं किया गया है, और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20 (ड़) की उप धारा (1) के अनुसरण में अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को सौंप दी है,

अतः अब केंद्रीय सरकार सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम 1989 की धारा 20 (ड) की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

यह और की केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20 (ड) की उप धारा (2) के अनुसरण में यह और घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि अनन्य रूप से सभी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

भूमि की अनुसूची

मध्यप्रदेश राज्य के इन्दौर जिले में विशेष रेल परियोजना (इन्दौर-बुदनी खण्ड) के लिये अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूमि स्वामी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	इन्दौर	सांवेर	राहूखेड़ी	26/1/1/2/1/4	निजी	आवासीय	0.036	रामदयाल प्रजापत पिता चेताराम प्रजापत रोशनी पति रामदयाल प्रजापत मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
2				26/1/1/2/1/2	निजी	कृषि	0.019	सुशीला यादव पति ज्ञानचंद यादव पता इंदौर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
3				26/1/1/2/11	निजी	कृषि	0.083	रितेश पिता श्रीकृष्ण यादव पता इंदौर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
4				26/1/1/2/14	निजी	व्यवसायिक	0.047	विनीशा चौधरी पति सतीष चौधरी पता इंदौर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
5				26/1/1/2/15 पें.	निजी	कृषि	0.143	अंजू ठाकुर पति स्व. अबाल सिंह ठाकुर अंश ठाकुर, अक्षिता ठाकुर पिता अबाल सिंह ठाकुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
6				26/1/1/2/15 पें.	निजी	कृषि	0.102	अमित शर्मा पिता दयाकिशन शर्मा पता इंदौर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
7				26/1/2/2/2	निजी	कृषि	0.080	संजय वासवानी पिता लखमीचंद वासवानी अमृता पति संजय वासवानी पता कालिंदी पार्क इंदौर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
8				26/1/2/2/1	निजी	कृषि	0.012	सुधीर वासवानी पिता लखमीचंद वासवानी अन्शु वासवानी पति सुधीर वासवानी पता कालिंदी पार्क इंदौर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
9				26/1/2/1	निजी	कृषि	0.210	पुष्पाबाई पति महेश, अनिता पति कमलेश, संगीता पति सतीश, मधु पति योगेन्द्र पता इंदौर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
10				26 पैकी	निजी	कृषि	0.003	पुष्पाबाई पति महेश, अनिता पति कमलेश, संगीता पति सतीश, मधु पति योगेन्द्र,
11					निजी	कृषि	0.024	
12					निजी	कृषि	0.135	

								अलीअसगरसाबिर पिता डॉ अकबर अली साबिर, तसनीम पति जौहर पता सुभाष मार्ग, मायाबाई पति हुकुम सिंह चौहान पता झलारिया, अनिल कुमार पिता गुलजारीलाल खंडेलवाल, स्मृति कुमार पिता गुलजारीलाल खंडेलवाल, गिरीशगुप्ता पिता वल्लभदास गुप्ता जाति गुप्ता, रमेश गुप्ता पिता वल्लभदास गुप्ता, अर्पिता मित्तल पिता अनिल अग्रवाल, रूचीबंका पति सौरभ बंका, अरुण मित्तल पति अनिल अग्रवाल, मनीष पिता रमाकांत स्वाति पिता मनीष, योगेश, नीमा, सुरेश पिता द्वारकादास नीमा, अलका पति राजेन्द्र पिता गोकुलदास भंडारी, आमना पति अजीज पटेल, शरदतिवारी पिता भगवत प्रसाद तिवारी, शैलेश मिश्र पिता रामचन्द्र मिश्र, महेश, सुरेश, कमलेश, सतीश, योगेन्द्र पिता मदनलाल,
				योग—			0.894	

टीपः—क्रम संख्या क्रमांक 10,11,12 के वास्तविक भूमिस्वामी का निर्धारण नहीं हो सका है, वास्तविक भूमि स्वामी का निर्धारण उपरांत मुआवजा राशि देय होगी।

राघवेन्द्र सारस्वत, मुख्य परियोजना प्रबंधक, रेल विकास निगम लिमिटेड, भोपाल

[विज्ञापन-III/4/असा./114/2026-27]

RAIL VIKAS NIGAM LIMITED NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2026

F. No. 13 INDB-BNI/LA/Gazette/17/Work Correspondence date 26/05/2026.—Whereas by the notification of the Rail Vikas Nigam Limited, notification No. F. No.13 INDB-BNI/LA/Gazette/10/Work Correspondence New Delhi Dated 18 June, 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, (hereinafter referred to as the said notification) under Sub Section (1) of Section 20A of the Railways Act 1989 (Railway Amendment Act 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of "Indore-Budni New B.G. Railway Line" in the district Indore, Dewas & Sehore in the State of Madhya Pradesh

And, whereas, the substance of the said notification was published in daily local Newspapers "Raj Express" and "Naiduniya" dated 03 July 2025 & 03 July 2025 under Sub Section (4) of Section 20A of the said act;

And, whereas, no objection has been received by the competent authority;

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government:

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of Sub Section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed here to shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE OF LAND

Brief Description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land (Indore-Budni section) of the New B.G. Railway line in the District Indore in the state of Madhya Pradesh

Sl. No	Name of the District	Name of the Tehsil	Name of the village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Owner
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indore	Sanwer	Rahukhedi	26/1/1/2/1/4	Private	Residential	0.036	Ramdayal prajapat S/o chetram prajapat roshni W/o ramdayal prajapat bhoomi swami
2				26/1/1/2/1/2	Private	Agriculture	0.019	Sushila yadav S/o gyanchand yadav indore bhoomi swami
3				26/1/1/2/11	Private	Agriculture	0.083	Ritesh S/o shri krishna yadav indore bhoomi swami
4				26/1/1/2/14	Private	Professional	0.047	Vinisha chaudhary W/o satish chaudhary indore bhoomi swami
5				26/1/1/2/15 चै.	Private	Agriculture	0.143	Anju thakur w/o late Abal singh thakur, ansh, akshita thakur S/o abal singh thakur bhoomi swami
6				26/1/1/2/15 चै.	Private	Agriculture	0.102	Amit sharma S/o dayakishan sharma indore bhoomi swami
7				26/1/2/2/2	Private	Agriculture	0.080	Sanjay vaswani S/o lakhmichand vaswani Amrita W/o sanjay kalindi park indore bhoomi swami
8				26/1/2/2/1	Private	Agriculture	0.012	Sudhir vaswani S/o lakhmichand vaswani Anshu W/o sudhir kalindi park indore bhoomi swami
9				26/1/2/1	Private	Agriculture	0.210	Pushpabai W/o mahesh, Anita w/o kamlesh, Sangeeta w/o satish, Madhu w/o yogendra bhoomi swami
10				26 पैकी	Private	Agriculture	0.003	Pushpabai W/o mahesh, Anita w/o kamlesh, Sangeeta w/o satish, Madhu w/o yogendra, Aliaagar sabir s/o Dr. Akbar Ali sabir, Tasneem w/o johar, Mayabai w/o hukum singh, Anil kumar
11					Private	Agriculture	0.024	
12					Private	Agriculture	0.135	

							s/o Gulzarilal khandelwal, Smriti kumar s/o Gulzarilal, Girish gupta s/o Vallabhadas gupta, Ramesh gupta s/o Vallabhadas gupta, Arpita mittal s/o Anil agarwal, Ruchibanka w/o saurabh banka, Aruda mittal w/o Anil agarwal, Manish s/o Ramakant, Swati s/o Manish, Yogesh, neema, suresh s/o Dwarkadas neema, Alka s/o Rajendra s/o Gokuldas bhandari, Aamna s/o Aziz patel, Sharad Tiwari s/o Bhagwat prasad tiwari, Shailesh mishra s/o Ramchandra mishra, Mahesh, suresh, kamlesh, satish, yogendra s/o Madanlal
			Total			0.894	

Note: The actual landowners corresponding to Serial Nos. 10, 11, and 12 could not be determined. The compensation amount shall be payable after determination of the actual landowners.

RAGHVENDRA SARASWAT, Chief Project Manager, Rail Vikas Nigam Limited, Bhopal

[ADVT.-III/4/Exty./114/2026-27]